राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 188 मार्च 2015

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च एक ऐसा अवसर है जो विश्व भर में महिला समूहों द्वारा मनाया जाता है। सभी महाद्वीपों की महिलाएं जो अमूमन राष्ट्रीय सीमाओं और जातीय, भाषायी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विभिन्नताओं में बंटी होती हैं, इस अवसर को एकता के रूप में मनाती हैं। वे अतीत में उस परम्परा को देखती हैं जो बराबरी, न्याय, शान्ति और विकास के लिए दशकों के संघर्ष को दर्शाती है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक साधारण महिला की इतिहास का निर्माण करने की कहानी है। यह समाज में पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर भाग लेने की सदी पुरानी संघर्ष के साथ जुड़ी है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विचार सबसे पहले 19वीं सदी की शुरूआत में आया जो औद्योगिक विश्व में विस्तार और उथल-पुथल, जनसंख्या में वृद्धि और नवीन विचारधारा के उदय का समय था।

उन प्रारंभिक वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ने समान रूप से विकसित और विकासशील देशों में एक नया आयाम अपना लिया। बढ़ते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय महिला आंदोलन ने, जिसे विश्व के संयुक्त राष्ट्र महिला कांफ्रेंस से बल मिला है, इस स्मृति दिवस को महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में उनके भाग लेने के लिए मांग करने हेतु समन्वित प्रयासों के लिए रैली करने का एक केन्द्र बनाने में सहायता की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा समय है जब हम अब तक हुई प्रगति पर विचार करते हैं, परिवर्तन की मांग करते हैं और उन साधारण महिलाओं की हिम्मत और दृढ़ निश्चय के कार्यों को याद करते हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।

इस प्रकार जब एक बार महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में महिला-पुरुष की बराबरी

चर्चा में **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस**

रखने के लिए लड़ाई लड़ी, महिला-पुरुष बराबरी अब उस एजेंडा को बनाने वाली एक मुख्य कारक बन गई है।

अनेक देशों में महिला के आधार पर भेदभाव के बिना मानव अधिकारों का उपभोग करने की गारंटी देने वाले उपबंधों को संविधान में शामिल किया गया है अथवा विधायी सुधारों में शामिल किया गया है। भेदभाव पूर्ण कानूनी उपबंधों को समाप्त कर दिया गया है और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जानकारी और अन्य उपाय आरम्भ किए गए हैं।

फिर भी, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। स्वतंत्रता के 67 वर्षों से अधिक समय के बाद भी, अनेक कानूनों के होने के बावजूद भारत में महिलाएं अपने आपको बेबस पाती हैं, महिलाओं की निर्धनता विशेषकर परिवारों की मुखियाओं की बढ़ रही है। बेरोजगारों में महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। उन्हें बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज की मांग, भ्रूण हत्या, बलात्कार और स्वास्थ्य सेवा के अपर्याप्त प्रावधानों से जूझना पड़ रहा है।

यह स्थिति भयावह है और इसके लिए तत्काल, अनुरूप हस्तक्षेप की आवश्यकता है। हमें अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूलों में भेजना होगा और उन्हें केवल साक्षर बनाने के विपरीत उत्तम शिक्षा देनी होगी। हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में महिलाओं की पहुंच बनानी होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष सैकड़ों महिलाओं की चिकित्सा सुविधा के अभाव में प्रसव के दौरान मृत्यु न हो, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हमें संपत्ति कानूनों में सुधार करना होगा ताकि महिला बराबरी एक वास्तविकता बन सके। जबकि ये परिवर्तन जरूरी हैं, वे निरर्थक हो जाएंगे यदि हम एक समाज के रूप में अपनी महिलाओं को गरिमा, स्वतंत्रता और अवसरों से, जो कि न्यायसम्मत रूप से उनके हैं, वंचित रखेंगे क्योंकि जब महिलाएं प्रगति करती हैं, तो पूरे समाज को लाभ मिलता है और आने वाली पीढ़ियों को जीवन में शुरू से बेहतरी मिलती है।

उच्चतम न्यायालय के महिला वकीलों द्वारा याचिका दायर किया जाना

उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाली महिला वकीलों ने एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने उन दो एडवोकेटों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है जिन्होंने निर्भय केस में एक आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हुए "भारत की बेटी" नाम की एक डॉक्यूमेंटरी में महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी है। दो वकीलों द्वारा की गई टिप्पणियों से आहत एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय के महिला संवेदनशील समिति द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है और यहां तक कि उच्चतम न्यायालय में उनके प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार करने को कहा है।

याचिका में कहा गया है कि डॉक्यूमेंटरी में की गई टिप्पणियां अमर्यादित, गैर-कानूनी, अनुचित, पक्षपातपूर्ण, आक्रोश पैदा करने वाली, दुर्भाग्यपूर्ण और विशेषकर उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रही महिलाओं की गरिमा के लिए सीधा अपमानजनक है। इसमें न्यायालय से यह भी कहा गया है कि वकीलों को ऐसी अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाना

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारतीय उद्योग महासंघ के साथ सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में "महिलाओं के लिए सशक्तिकरण वातावरण सृजित करना" पर एक राष्ट्रीय विचार-विमर्श का आयोजन किया। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने इस विचार-विमर्श का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने स्वागत भाषण दिया।

राष्ट्रीय विचार-विमर्श के दौरान (बाएं से) श्रीमती प्रेमा रामचंद्रन, श्री डी.वी. प्रसाद, श्रीमती मेनका गांधी, श्रीमती ललिता कुमारमंगलम और श्रीमती शमीना शफीक

यह विचार-विमर्श महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए किया गया था जहां वे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपने आपको सशक्त बनाने के लिए अपनी कौशल और उद्यमशीलता में वृद्धि कर सकें और एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन बिता सकें। विभिन्न विषयों के लिए तीन सत्र हुए थे जैसे (1) शिक्षा, कौशल और उद्यमशीलता, (2) स्वास्थ्य और पोषाहार, (3) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। श्री डी.वी. प्रसाद, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव ने चर्चा का संचालन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्याएं शमीना शफीक, हेमलता खेरिया, लालडिंगलियानी साइलो और आयोग के अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

तपेदिक रोग का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव

विश्व तपेदिक रोग दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय तपेदिक रोग अनुसंधान संस्थान ने चेन्नई के चेटपेट में "तपेदिक रोग का महिलाओं और बच्चों पर प्रभाव" शीर्षक से एक संगोष्ठी आयोजित की।

प्रमुख भाषण देते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए उपाय करने को कहा क्योंकि उन्हें तपेदिक रोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक देखभाल को स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। डॉ. सौमैया स्वामीनाथन, निदेशक, राष्ट्रीय तपेदिक रोग अनुसंधान संस्थान के अनुसार विश्व में बच्चों की मृत्यु के दस बड़े कारणों में तपेदिक एक है; तथापि बच्चों में तपेदिक को अधिकांश स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निम्न प्राथमिकता दी जाती है।

श्रीमती ललिता कुमारमंगलम श्रोताओं को सम्बोधित करती हुई जबकि डॉ. सौमैया स्वामीनाथन देख रही हैं

असाधारण कार्य

प्रतापगढ़ जिला मजिस्ट्रेट ने श्यामा पटेल को उसकी त्वरित समझ के लिए, जिसके कारण काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे सैकड़ों यात्रियों की जानें बचने में मदद मिली, अभिनंदन किया। खेतों से लौटते समय श्यामा ने चिलबिला और जगेसरगंज रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाईनों में लगभग एक फुट की दरार देखी। उसने तुरन्त अपना लाल शॉल उतारा और उस स्थान की ओर भागी जहां उसने देखा कि वहां एक चौड़ी दरार है जिससे भयानक रेल दुर्घटना हो सकती है। रेल लाईनों के बीच खड़ी होकर उसने शॉल को जोर-शोर से लहराना शुरू किया। यद्यपि ड्राइवर ने उसे देख लिया था और उसने ब्रेक लगाई, इंजन अंततोगत्वा रुकने से पहले रेल लाईनों के टूटे भाग को पार कर गया था।

हस्तकला उत्सव

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हस्तकला उत्सव का उद्घाटन करती हुई

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय महिला बैंक लिमिटेड ने 7-15 मार्च, 2015 को दिल्ली हाट, जनकपुरी, नई दिल्ली में हस्तकला उत्सव का आयोजन किया। उत्सव का उद्देश्य महिला शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने श्रीमती उषा अनंथसुब्रमणियम, अध्यक्षा और प्रबंध-निदेशक और श्रीमती एस.एम. स्वाति, कार्यकारी निदेशक, महिला बैंक की उपस्थिति में उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलती हुई, अध्यक्षा ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अपने विभिन्न प्रयासों के लिए बैंक की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हस्तकला की वस्तुओं के प्रदर्शन एवं बिक्री से भारतीय हस्तकला को प्रोत्साहन मिलेगा और महिलाओं की प्रतिभा बाहर आएगी। उन्होंने स्टॉलों का दौरा किया और महिलाओं की सृजनात्मकता और प्रदर्शित उत्पादों की प्रशंसा की।

महत्वपूर्ण निर्णय

● दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला को उसके ससुर के स्वामित्व वाले घर में रहने के अधिकार से इंकार किया है। उसने कहा कि महिला का उस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं है जो केवल उसके सास-ससुर की है और इस संपत्ति को सह-उपयोग वाला आवास नहीं माना जा सकता है। महिला का उस पृथक घर में रहने का अधिकार है जो उसके पति ने पहले ही किराए पर दी हुई है। उच्चम न्यायालय के एक निर्णय को उद्धृत करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि महिला तभी उस घर में रहने के अधिकार की पात्र है यदि उसके पति का संपत्ति में स्वामित्व है अथवा उसमें उसका हिस्सा है।

● कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून के उपबंधों को लागू करने पर असफल रहने में नियोक्ताओं पर 50,000/- रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

● महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के विशेष अभियान में सभी जिला पुलिस उपायुक्तों को निदेश दिया गया है कि वे प्रमुख बस स्टैण्डों, चार्टर्ड बसों, लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में और कम रोशनी वाले इलाकों में पुलिस कार्मिक सादे कपड़ों और वर्दी में तैनात करें। टीमें दैनिक रिपोर्ट अपने-अपने थानाध्यक्षों को देंगी।

● सतरोल खाप पंचायत ने निर्णय किया है कि 42 गांवों के उसके क्षेत्राधिकार में इज्जत के लिए मार देने, बलात्कार और कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में शामिल व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। समिति ने एक संकल्प पारित किया है जिसमें कहा गया है कि वह आरोपी व्यक्तियों का *"हुक्का पानी"* बंद कर देगी और उन्हें किसी बैठक अथवा समारोह में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

● दि सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने अनेक सूचीबद्ध कंपनियों को निदेश दिया है कि वे 1 अप्रैल, 2015 तक अपने बोर्डों में महिला निदेशकों को नियुक्त करें। 250 से अधिक कंपनियों ने सेबी की समय-सीमा का पालन करने के लिए आखिरी समय में महिला निदेशकों को नियुक्त किया है और यह संख्या बढ़ने की आशा है।

● सोनोग्राफी सेंटरों द्वारा किए जा रहे लिंग निर्धारण के अवैध कार्य को निरुत्साहित करने के बाद राजस्थान सरकार अब उन मां-बाप को लक्ष्य बना रही है जो अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए इन सेंटरों में जाते हैं। जो कोई भी भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के लिए सोनोग्राफी सेंटरों में जाएगा, उसे पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग को फरवरी, 2015 में लिखित और ऑन-लाइन प्राप्त शिकायतें

महीना फरवरी, 2015	अथ शेष (पिछले महीने के लंबित मामले)	प्राप्त शिकायतें	शिकायतों की संख्या जिन पर कार्यवाही की गई	कार्यवाही हेतु लंबित शिकायतें
लिखित में	शून्य	1027	1027	शून्य
ऑन-लाइन	शून्य	170	170	शून्य
बंद मामले	लिखित में - 105	ऑन-लाइन - 35		

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या हेमलता खेरिया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ सहयोग से वाराणसी, उत्तर प्रदेश में "हाथ से मैला ढोने के काम में लगे हाशिए के समुदायों की महिलाओं की आवाज को सुनना" विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलती हुई सदस्या ने कहा कि पहली बार राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाथ से मैला ढोने का मामला उठाया है जो कि कानून द्वारा निषिद्ध है। ● सुश्री खेरिया ने भागीदारी जन सहयोग समिति द्वारा ह्यूमन फाउंडेशन, प्रभव फाउंडेशन और प्रगति पाथ फाउंडेशन के साथ सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में "महिला सुरक्षा" पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। सदस्या ने सार्वजनिक और प्राइवेट स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा के बारे में बोला।

सदस्या हेमलता खेरिया (बीच में) हाथ से मैला ढोने के कार्यक्रम में

❖ जबलपुर वाणिज्य और उद्योग चैम्बर ने जबलपुर में महिला उद्यमियों हेतु विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बोलती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक ने, जो मुख्य अतिथि थी, कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि अब समय आ गया है जब महिलाओं को स्व-रोजगार के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि महिलाओं में अपना व्यवसाय और उद्यम और साथ में अपने परिवार को चलाने की अधिक ताकत और क्षमता है। पुलिस महानिदेशक, महिला प्रकोष्ठ, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने जोर देकर यह कहा कि व्यवसाय में महिलाओं के लिए सकारात्मक और समर्थनकारी वातावरण की आवश्यकता है।

सदस्या शमीना शफीक अभिनंदन समारोह में

साहस की मिसाल

एक बलात्कार पीड़िता ने आरोपी से विवाह करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के फरमान को न मानकर अपितु अपने विवाह वाले दिन उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर एक अनुकरणीय साहस दिखाया है। दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने उस लड़की का विवाह आरोपी से कराकर अपराध को वैध बनाने की कोशिश की परन्तु आरोपी ने उससे विवाह से इंकार किया और फिर लड़की ने उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी। तथापि बातचीत जारी रही और पुलिस और समुदाय के दबाव से आरोपी लड़की से विवाह करने को सहमत हो गया। लड़की की जानकारी के बिना विवाह के लिए तिथि निर्धारित की गई। जैसे ही दूल्हा पक्ष के लोग बारात की तैयारी में थे, लड़की ने पुलिस बुला ली और बलात्कारी से शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि प्राथमिकी पहले दी लंबित थी। हम लड़की की हिम्मत को सलाम करते हैं जिसने दूसरों के सामने अनुसरण के लिए एक मिसाल पेश की।

पंजाब में दुकानों में रात्रि की पाली में महिलाओं का काम करना

महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने के लिए पंजाब सरकार ने राज्य में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में इस परन्तुक के साथ महिलाओं को रात्रि की पाली में काम करने की अनुमति दे दी है कि रात्रि के समय के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए कड़ी शर्तें लागू की जाएंगी। इस कदम से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को जो कॉल सेंटरों को चलाता है, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और अन्य प्रतिष्ठानों को लाभ पहुंचने की संभावना है जो रात के घंटों में कार्य करती हैं। संयोग से पंजाब ने पहले ही फैक्टरियों में रात की पाली के दौरान महिलाओं को काम करने की अनुमति दी हुई है।

अधिक सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।